तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गुलाम फरीद पुत्र श्री नजीर खां जाति मुसलमान निवासी गंगाशहर रोड़, सोनारों की बगीची के पीछे, बीकानेर :बनाम: **नूर मोहम्मद पुत्र फरीद खां जाति मुसलमान निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर आदि** **किस्म मुकदमा राजस्व विविध** **(नियम 14(4) आवंटन नियम,1970)** **मुकदमा संख्या 15/10**	

: आदेश :

28.01.2019

उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता ने दिनांक 22.01.19 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी इस अनवान मुकदमा में परिवादी है, जिसकी आयु 81 वर्ष की होचुकी है व उसकी तबीयत भी खराब है तथा चलने फिरने में असमर्थ रहता है, इसलिए प्रार्थी अब अपना मुकदमा चलाना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र/परिवाद नोट प्रेस/जरिये विद्ड्रावल निरस्त करनें की कृपा करें। इस प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से आदेशिका पर नो–ओबजेक्शन अंकित किया गया।

NO- 14C 30.1.19

प्रकरण में प्रार्थी की और से अप्रार्थीगण नूर मोहम्मद व अन्य के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन निमय,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि खेत ख.नं. 64 पुराना तादादी 111 बीघा 14 बिस्वा, जिसके हाल ख.नं. 160 तादादी 0.4200 हैक्टयर, ख.नं. 651/196 तादादी 6.1000 हैक्टयर, खं.नं. 195 तादादी 7.4400 हैक्टयर ख.नं. 650/196 तादादी 5.5200 हैक्टयर, ख.नं. 196 तादादी 8.5300 हैक्टयर कुल रकबा 28.11 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम हिमतासर अप्रार्थीगण के पिता फरीद खां के नाम से धारा 101 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत आवंटी मानकर नियम विरूद्ध आवंटन किया गया है जिसे निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण से संबधित मूल आवंटन पत्रावली संबंधित कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है व ना ही तहसीलदार, बीकानेर द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण ना तो मैरिट पर गया है व ना ही पत्रावली परिपक्व होकर गुणावगुण पर बहस हुई है।

उपर्युक्त स्थिति में प्रार्थीपक्ष की और से प्रकरण को जरिये विड्रावल खारिज किये जाने के अभिवचनों पर अप्रार्थीपक्ष को कोई आपति ना होने का अभिवचन होने की स्थिति में हम इस प्रकरण को इस न्यायालय में चल रही कार्यवाही की हद तक बंद किया जाना उचित समझते है तथा प्रार्थीपक्ष के प्रार्थना–पत्र को तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को भिजवाते हुए यह आदेशित किया जाना न्यायोचित समझते है कि प्रकरण में जांच करें, जांच से अगर प्रकरण आवंटन नियम 14(4) का बनना पाया जावे तो तत्काल न्यायिक प्रक्रियानुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 28.01.19 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। आदेश की प्रति मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन निमय,1970 तहसीलदार, बीकानेर को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner